



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27032023-244706
CG-DL-W-27032023-244706

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 19—मार्च 25, 2023, शनिवार/फाल्गुन 28, 1944—चैत्र 4, 1945
No. 12] NEW DELHI, MARCH 19—MARCH 25, 2023, SATURDAY/PHALGUNA 28, 1944—CHAITRA 4, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(केंद्रीय माल और सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय)

(चेन्नई उत्तर आयुक्तालय)

चेन्नई, 8 अप्रैल, 2022

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5(1) के तहत जारी सेवा
समाप्ति की सूचना – के संबंध में।

का.आ. 331.—केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, मैं जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक श्री साहिल कुमार को नोटिस देता हूं कि उनकी सेवाएं 2019 से समाप्त कर दी जाएंगी। उस तारीख से एक महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख जिस पर यह नोटिस दिया जाता है या, जैसा भी मामला हो, उसे दिया जा सकता है।

[सी. सं. II/10-A/1/2022-Vig.Ch.North]

एम एम पार्थिवन, प्रधान आयुक्त

अनुलग्नक-I**प्रपत्र-1**

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5(1) के तहत जारी सेवा समाप्ति की सूचना

केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) के अनुसरण में, मैं जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक श्री साहिल कुमार को नोटिस देता हूं कि उनकी सेवाएं 2019 से समाप्त कर दी जाएंगी। उस तारीख से एक महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख जिस पर यह नोटिस दिया जाता है या, जैसा भी मामला हो, उसे दिया जा सकता है।

MINISTRY OF FINANCE

(OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF GST AND CENTRAL EXCISE)

(CHENNAI NORTH COMMISSIONERATE)

Chennai, the 8th April, 2022

SUB : NOTICE OF TERMINATION OF SERVICE ISSUED UNDER RULE 5(1) OF THE CENTRAL CIVIL SERVICES (TEMPORARY SERVICE) RULES, 1965 – REG.

S.O. 331.—In pursuance of sub rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary service) Rules, 1965, I hereby give notice to Shri Sahil Kumar, Inspector of GST and Central Excise, that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is served on or, as case may be, tendered to him.

[C. No. II/10-A/1/2022-Vig.Ch.North]

M. M. PARTHIBAN, Principal Commissioner

ANNEXURE I**FORM 1**

NOTICE OF TERMINATION OF SERVICE ISSUED UNDER RULE 5(1) OF THE CENTRAL CIVIL SERVICES (TEMPORARY SERVICE) RULES, 1965

In pursuance of sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, I hereby give notice to Shri Sahil Kumar, Inspector of GST and Central Excise, that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is served on or, as the case may be, tendered to him.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2023

का.आ. 332.—भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338ख के खंड (3) के तहत स्वयं में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी किए गए नियुक्ति अधिपत्र के अनुसरण में श्री भुवन भूषण कमल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) में 10 मार्च, 2023 से सदस्य पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

[फा. सं. 12015/28/2021-बीसी-II]

आर. पी. मीणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)**

New Delhi, the 16th March, 2023

S.O. 332.—In pursuance of the Warrant of Appointment issued by the President of India under his hand and seal by virtue of powers vested in him under Clause (3) of Article 338B of the Constitution, Shri Bhuvan Bhushan Kamal has assumed charge of the post of Member in the National Commission for Backward Classes (NCBC) with effect from the date 10th March, 2023.

[F. No. 12015/28/2021-BC-II]

R. P. MEENA, Jt. Secy.